रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933

No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

सं. वी-24011/5/2003-एमई II(भाग).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक दंत चिकित्सा और उपाचार्य दंत चिकित्सा के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (दंत चिकित्सा), उपाचार्य (दंत चिकित्सा) भर्ती नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध की अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उपाचार्य दंत चिकित्सा	1*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 37,400-67,000 ग्रेड पे रु. 8,900 और प्रैक्टिस बंदी भत्ता केवल आयुर्विज्ञान स्नातक के लिए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकार सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी.एस. या समतुल्य । (2) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/दंत चिकित्सा	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(8)

महाविद्यालय में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या (2) जिन्होंने रु. 14300–18300 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 2. ज्येष्ठ प्राध्यापक (दंत चिकित्सा) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधे पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन —सदस्य 3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ज्येष्ठ प्राध्यापक दंत चिकित्सा	1*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 37,400-67,000 ग्रेड पे रु. 8,600 और प्रैक्टिस बंदी भत्ता केवल आयुर्विज्ञान स्नातक के लिए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	नहीं

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय **से बी.डी.एस.** या समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता या समतुल्य । (3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव ।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(8)
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(11)	(12)
सीधी भर्ती । एक साल या उससे अधिक की अवधि या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में अवलंबी द्वारा रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है । (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (2) जिन्होंने रु. 12000-16500 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति : 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

वलसम्मा के डेनियल, अवर सचिव

[विज्ञापन III/4/187-पी/11/असा.]

MINSITRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2011

No. V-24011/5/2003-ME II (Pt.) .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the president hereby makes the folowing rules regulating the method of recruitment to the posts of Reader (Dentistry) and Senior Lecturer (Dentistry) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely:—

480 GI/12-2

1. **Short title and commencement.**—(a) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Reader (Dentistry) and Senior Lecturer (Dentistry) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2004.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, clasification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as special in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or eategory of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection Post	Age-limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6	7
1. Reader (Dentistry)	01* (2004) *Subject to variation depentent on workload.	General Central Service Group'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 37,400-67,000+GP 8,900+ Non-praticing Allowance only for Medical Graduates.	Not applicable	Not exceeding fifty year's. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-divison of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Yes

Educational and other qualification required for Direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Essential: (i) MDS from a recognised university or equivalent. (ii) Five year's teaching experience as Assistant Professor/Senior Lecturer in Dentistry in a Recognized Medical College/Dental College. **Note 1 —** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 —** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable —** Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National Journals.	Age : No. Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits.

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation (including short-term contract)/ Promotion failing which by direct recruitment.	Deputation (Including short-term contract)/promotion I. Officers of the Central/State Government/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cader/ Department; or (ii) with two year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8). II. The Departmental Senior Lecturer (Dentistry) with two years regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

12
in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promation Committee (for considering confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned department of Government Medical College & Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Lecturer (Dentistry)	01*(2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetteed, Non-Ministerial.	Rs. 37,400-67,000+GP 8,600+ Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.	Not applicable	Not exceeding fifty years. Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-divison of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	No

8	9	10
Essential: (i) BDS from a recognised university or equivalent preferably with MBBS from a recognized university or equivalent. (ii) Postgraduate qualification in the relevant subject from a recognized university or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in the subject in a recognized Medical College as Resident/Registrar/Demonstrator/Lecturer/Tutor. **Note 1 —** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 —** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Survice Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year

11	12
Direct recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under cloumn 8. (The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.)	Not applicable

13	14
Group 'A' Departmental Promation Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration — Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration — Member 3. Director Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College & Hospital, Chandigarh — Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

VALSAMMA K. DANIEL, Under Secy.
[ADVT. III/4/187-P/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.